



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

No. 473]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2006/वैशाख 22, 1928

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2006/VAISAKHA 22, 1928

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

का.आ. 689(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन), अधिनियम, 2006 (2006 का 10) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 15 मई, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[सं. ए-60011/11/2004-केवीआई]

ए. पी. पादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2006

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Act, 2006 (10 of 2006), the Central Government hereby appoints the 15th May, 2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. A-60011/11/2004-KVI]

A. P. PADHI, Jt. Secy.